1

[2022] 12 एस. सी. आर 1

क.

एस. रुक्मिनी मादेगौड़ा बनाम

राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 6576)

14 सितंबर, 2022

[उदय उमेश ललित**,** सीजेआई**,** इंदिरा बनर्जी और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976-एस.27, 33- 35, 39 – कर्नाटक नगर निगम (चुनाव) नियम, 1979-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 -s.123 (2)-चुनाव संचालन नियम, 1961-प्रत्यर्थी नं.4 अनुमति दी गई, मैसूर नगर निगम के लिए पार्षद के रूप में अपीलार्थी के चुनाव को दरकिनार कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःएक उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी या आश्रितों की संपत्ति के बारे में एक झूठी घोषणा, उम्मीदवार के चुनाव पर इस तरह की झूठी घोषणा के प्रभाव के बावजूद भ्रष्ट प्रथा का गठन करती है-यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी ने अपने पति की संपत्ति के बारे में जानकारी को दबा दिया-भ्रष्ट प्रथाओं को धाराओं में परिभाषित किया गया है।39(2), के. एम. सी. अधिनियम में 'अनुचित प्रभाव' को शामिल किया जाएगा जैसा कि एस में परिभाषित किया गया है।123(2), 1951 आर. पी. अधिनियम -1951 आर. पी. अधिनियम की धारा 1 (2) लोक प्रहरी मामले में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या के लिए सामने आई, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गैर-प्रकटीकरण 1951 आर. पी. अधिनियम के तहत परिभाषित 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा-'अनुचित प्रभाव' की परिभाषा जैसा कि धाराओं में उपयोग किया गया है।123(2) 1951 का आर. पी. अधिनियम भी एस. द्वारा अपनाया गया है। 39(2) के. एम. सी. अधिनियम-इसलिए, नगरपालिका चुनावों में संपत्ति का खुलासा न करना भी 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप 'भ्रष्ट व्यवहार' होगा-इसके अलावा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर अपीलकर्ता द्वारा सवाल नहीं उठाए गए थे-बल्कि, उन्होंने उन्हें अपने लिए बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया और तदनुसार एक हलफनामा दायर किया-इस प्रकार, अपीलकर्ता अधिसूचनाओं की वैधता या राज्य चुनाव आयोग की इसे जारी करने की शक्ति पर सवाल उठाने से वंचित है-इसके अलावा, राज्य चुनाव आयोग के लिए हलफनामे के माध्यम से उम्मीदवार, उसके/उसके जीवनसाथी और आश्रित सहयोगियों की संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश जारी करने में कोई कानूनी या मानक बाधा नहीं है-अधिसूचना जारी करने में, चुनाव आयोग ने विधायी निकाय में अतिक्रमण नहीं किया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

1

अपीलार्थी के चुनाव को रद्द करने के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय का निर्णय।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 243-जेडए (1), 324 (1)-आयोजितःअनुच्छेद 243-जेडए (1) की भाषा और सार अनुच्छेद 324 (1) के समान है-संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग को

व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 324 (1) की व्याख्या अनुच्छेद 243-जेडए (1) पर लागू होगी, जिसका अर्थ राज्य चुनाव आयोग को चुनावी भूमिकाओं की तैयारी या नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण से संबंधित निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करना है-राज्य चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 243-के और 243-जेडए (1) के तहत वही शक्तियां हैं जो चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 324 (1) के तहत हैं।

ग

कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976-कर्नाटक नगर निगम (चुनाव) नियम, 1979-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-चुनाव संचालन नियम, 1961-आयोजितः1961 के नियमों के समान, के. एम. सी. चुनाव नियमों में किसी भी विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने में चूक का एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण, जिसमें बेईमानी और भ्रष्ट प्रथा को माफ करने के लिए संपत्ति के प्रकटीकरण की स्पष्ट रूप से आवश्यकता होती है, संविधान की भावना और सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा।

डी.

ई.

पूर्ववर्ती-आयोजितःएक निर्णय उठाए गए और तय किए गए कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है-निर्णय का अर्थ उन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लगाया जाना चाहिए जिनमें इसे प्रस्तुत किया गया है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

च

पकड़नाः**1.1** अपीलार्थी का चुनाव कर्नाटक नगर निगम अधिनियम**, 1976** और उसके तहत बनाए गए कर्नाटक नगर निगम **(**चुनाव**)** नियम**, 1979** द्वारा शासित होता है।किसी उम्मीदवार**,** उसके जीवनसाथी या आश्रितों की संपत्ति के संबंध में एक झूठी घोषणा**,** उम्मीदवार के चुनाव पर इस तरह की झूठी घोषणा के प्रभाव के बावजूद भ्रष्ट प्रथा का गठन करती है।यह माना जा सकता है कि एक झूठी घोषणा चुनाव को प्रभावित करती है।**[**पैरा **16,38] [10-**ई**-**एफ**; 17-**ए**-**बी**] 1.2** एक निर्णय उस कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है जिसे उठाया और तय किया जाता है।निर्णय का अर्थ ए में लगाया जाना चाहिए।

जी.

एच.

3

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस।

उन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि जिसमें निर्णय दिया गया है।निर्णय में शब्द**,** वाक्यांश और वाक्यों को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है।न ही किसी निर्णय को क़ानून के तरीके से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए।यह केवल वह कानून है जिसकी अदालत द्वारा पहले के फैसले में व्याख्या की गई थी**,** जो एक बाध्यकारी मिसाल का गठन करता है**,** और वह सब कुछ नहीं जो न्यायाधीश कहते हैं।**[**पैरा **41] [18-**बी**-**डी**]**

एम. पी. वी. राज्यपर्यावरण संरक्षण केंद्र

अनुसंधान और विकास (2020) 9 एस. सी. सी. 781:2020 (8) जेटी 353-प्रतिष्ठित।

1.3 केएमसी अधिनियम की धारा **39** के तहत**,** भ्रष्ट प्रथाओं में अनुचित प्रभाव शामिल है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम **1951 ("1951** आर**.** पी**.** अधिनियम**")** की धारा **123** के खंड **2** में अनुचित प्रभाव की परिभाषा को के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (2)** में शामिल किया गया है। के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **27** के तहत धारा **39 (2)** में

परिभाषित भ्रष्ट प्रथाओं के तहत, जिसमें "अनुचित प्रभाव" शामिल है, छह साल के लिए पार्षद होने से अयोग्य घोषित किया जाता है।**[**पैरा **45,47] [22-**डी**-**ई**; 23-**डी**]**

ग

डी.

1.4 1951 के आर**.** पी**.** अधिनियम की धारा **123 (2)** में परिभाषित 'अनुचित प्रभाव' को शामिल करने के लिए के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (2)** में भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित किया गया है। **1951** के आर**.** पी**.** अधिनियम की धारा **123 (2)** लोक प्रहरी में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या के लिए सामने आई, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर**-**प्रकटीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिभाषित 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा। **1951** आर**.** पी**.** अधिनियम की धारा **123 (2)** में उपयोग की गई 'अनुचित प्रभाव' की परिभाषा को के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (2)** द्वारा भी अपनाया गया है। इसलिए, नगरपालिका चुनावों में संपत्ति का खुलासा न करना भी 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप 'भ्रष्ट व्यवहार' होगा।जैसा कि तर्क दिया गया है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा **14** जुलाई **2003** और **19** जून **2018** को जारी अधिसूचनाओं पर अपीलार्थी द्वारा कभी सवाल नहीं उठाया गया है।बल्कि, याचिकाकर्ता ने अधिसूचनाओं को उस पर बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया, और तदनुसार एक हलफनामा दायर किया।इसलिए, अपीलार्थी को अधिसूचनाओं की वैधता या इसे जारी करने की राज्य चुनाव आयोग की शक्ति पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है।के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **35** और **39 (ii),** जिसे लोक प्रतिनिधित्व की धारा **123 (2)** के साथ पढ़ा जाता है, से स्पष्ट है कि परिसंपत्तियों का खुलासा न करना 'भ्रष्ट प्रथाओं' के बराबर होगा, जिसमें अयोग्यता शामिल है।

ई.

च

जी.

एच.

क.

अधिनियम **1951,** जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लोक प्रहरी में व्याख्या की गई है।यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने पति की संपत्ति के संबंध में जानकारी छुपाई थी।के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **35 (1) (**बी**)** में प्रावधान है कि यदि न्यायालय की राय है कि किसी पक्ष ने 'भ्रष्ट आचरण' किया है, तो इसके परिणामस्वरूप चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **35** उन आधारों की गणना करती है जिनके आधार पर न्यायालय वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित कर सकते हैं।धारा **35 (1) (**बी**)** में चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधारों में से एक के रूप में, एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या तो लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से, भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है।के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39** उन कृत्यों/प्रथाओं की गणना करती है, जिन्हें भ्रष्ट प्रथा माना जाना है।भ्रष्ट प्रथाओं में 'अनुचित प्रभाव' शामिल है।यह के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (2)** में निर्दिष्ट है। **1951** के आर**.** पी**.** अधिनियम की धारा **123 (2)** में अनुचित प्रभाव की परिभाषा को के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (2)** में अनुचित प्रभाव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (3)** की अवधि को ध्यान में रखते हुए, किसी उम्मीदवार से संबंधित कोई भी गलत बयान भ्रष्ट व्यवहार होगा।दोहराव की कीमत पर, इस बात पर जोर दिया जाता है कि केएमसी अधिनियम **1951** आरपी अधिनियम की धारा **123 (2)** में अनुचित प्रभाव की परिभाषा को शामिल करता है। आर**.** पी**.** अधिनियम**, 1951** की धारा **123 (2)** में 'अनुचित प्रभाव' की व्याख्या करने वाले इस न्यायालय के निर्णय, के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम की धारा **39 (2)** के तहत अनुचित प्रभाव की व्याख्या पर पूरी तरह से लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**, 1951** की धारा **123 (2)** की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा लोक प्रहरी में की गई थी, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि गैर**-**प्रकटीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**, 1951** में परिभाषित 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा।इसलिए परिसंपत्तियों का खुलासा न करना भी 'अनुचित निवेश' के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट प्रथाओं' के बराबर होगा। श्री पाटिल ने तर्क दिया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा **14** जुलाई **2003** और विशेष रूप से **19** जून **2018** को जारी अधिसूचनाओं में उम्मीदवारों के लिए अपने जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करते हुए शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।**[**पारस **55-62] [24-H; 25-A-B, C, F-H; 26-A-G]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

लोक प्रहरी बनाम भारत संघ **(2018) 4** एस**.** सी**.** सी**. 699:[2018]**

2 एस**.** सी**.** आर**. 892-**निर्भर।

एच.

5

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस।

क.

1.5 यह सवाल कि क्या चुनाव आयोग के पास के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उम्मीदवारों को अपने जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश जारी करने का अधिकार था**,** अब एकीकृत नहीं है।यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ओआरएस में निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है**,** जहां इस न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदाताओं को**,** अन्य बातों के साथ**-**साथ**,** न केवल उम्मीदवारों बल्कि उनके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति से संबंधित जानकारी सुरक्षित करने का निर्देश दिया था।निर्वाचन आयोग को**,** यथास्थिति**,** संसद और/या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के चार कोनों के भीतर कार्य करना होगा।**14** जुलाई **2003** की अधिसूचना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार जारी की गई थी**,** जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि "संविधान ने आकस्मिक स्थितियों का ध्यान रखने के लिए अनुच्छेद **324** के तहत व्यापक प्रावधान किया है और यह उन क्षेत्रों में काम करता है जहां कानून नहीं है।**”** भारत के संविधान के अनुच्छेद **324** की इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।**[**पारस **63-65] [26-**जी**-**एच**; 27-**ए**-**सी**]**

ग

डी.

भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

(2002) 5 एस**.** सी**.** सी**. 295:[2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 696-**पर निर्भर।

ई.

1.6 अनुच्छेद **243-**जेड**.** ए**. (1)** की भाषा और कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद **324 (1)** के समान है।धारा **243-**जेड**.** ए**. (1)** की भाषा और कार्यकाल अनुच्छेद **324 (1)** के समान है।इस न्यायालय ने चुनाव आयोग को चुनावी भूमिकाओं की तैयारी और/या संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव के संचालन के पर्यवेक्षण**,** निर्देश और नियंत्रण से संबंधित व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए अनुच्छेद **324 (1)** की व्याख्या की है**,** बशर्ते कि निर्देश कानून के विपरीत न हों।संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए अनुच्छेद **324 (1)** की व्याख्या अनुच्छेद **243-**जेडए **(1)** पर लागू होगी।अनुच्छेद **243-**जेड**.** ए**. (1)** का अर्थ राज्य चुनाव आयोग को चुनावी भूमिकाओं की तैयारी या नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन के लिए

अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण से संबंधित निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।चुनाव आयोग के पास व्यापक शक्तियाँ हैं -

च

जी.

एच.

6 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

क.

भारत के संविधान का अनुच्छेद **324 (1)** कानून की रूपरेखा के अधीन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए है।चुनाव आयोग की शक्ति में निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल है जहां कानून चुप है।राज्य चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद **243-**के और **243-**जेडए **(1)** के तहत वही शक्तियां हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद **324 (1)** के तहत भारत के चुनाव आयोग के पास हैं।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और लोक प्रहरी में, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** के तहत अपने मौलिक अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए, मतदाता को चुनाव में उम्मीदवारों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, तो उसकी संपत्ति और देनदारियां, शैक्षिक योग्यता आदि शामिल हैं। यह सच हो सकता है कि **1951** के आर**.** पी**.** अधिनियम का संशोधन केंद्रीय संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है जैसा कि लोक प्रहरी में देखा गया है और के**.** एम**.** सी**.** अधिनियम का संशोधन विशेष रूप से कर्नाटक राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में है।हालांकि, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में, राज्य चुनाव आयोग के लिए उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी और आश्रित सहयोगियों की संपत्ति का हलफनामे के माध्यम से खुलासा करने की आवश्यकता वाले निर्देश जारी करने में कोई कानूनी या मानक बाधा नहीं है।**14** जुलाई **2003** की अधिसूचना जारी करते हुए, चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य विधानमंडल के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया है।**14** जुलाई **2003** की अधिसूचना में निहित निर्देश को अपीलार्थी ने स्वीकार कर लिया था।एक झूठे हलफनामे की पुष्टि करने के बाद, यह तर्क देना अपीलार्थी के मुँह में नहीं है कि उसके चुनाव को केएमसी अधिनियम की धारा **35 (1)** के तहत भ्रष्ट व्यवहार के आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। **[**पारस **66-70] [27-C-D, G-H; 28-A-G]**

ग

डी.

ई.

च

1.7 चुनाव आयोग ने कानून के दायरे में **14** जुलाई **2003** को अधिसूचना जारी की है।सभी स्तरों पर चुनाव की शुद्धता, चाहे वह केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या पंचायत का चुनाव हो, राष्ट्रीय महत्व का विषय है जिसमें सभी राज्यों के हित में एक समान नीति वांछनीय है।**1961** के नियमों के समान के**.** एम**.** सी**.** चुनाव नियमों में किसी भी विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने में चूक का एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण, जिसमें बेईमानी और भ्रष्ट व्यवहार को माफ करने के लिए संपत्ति के प्रकटीकरण की स्पष्ट रूप से आवश्यकता होती है, ए होगा।

जी.

एच.

7

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस।

संविधान की भावना और जनहित के खिलाफ।प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूरू के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए, चुनाव याचिका की अनुमति देते हुए और अपीलार्थी के चुनाव को दरकिनार करते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने या उसे दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है।[पारस **72,74** और **75] [29-**सी, एफ-जी**; 30-**ए-बी**]**

श्रीकांत बनाम वसंतराव और अन्य **(2006) 2** एस**.** सी**.** सी**. 682:[2006] 1** एससीआर **496;** ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल **(1982) 1**

एससीसी **691:[1982] 3** एससीआर **318-**प्रतिष्ठित।

कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य। **(2015) 3** एससीसी **467:[2015] 4** एससीआर **987;** भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष

ग

गुप्ता (2017) 2 एससीसी 538:[2016] 9 एस. सी. आर. 985; एस.

पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ ए**.** आई**.** आर**. 1963** एस**.** सी**. 1963 -**

पर भरोसा किया।

श्रीकांत बनाम वसंत राव और अन्य**;** शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत का चुनाव आयोग **(2018) 9** एससीसी **100: [2018] 10** एससीआर **76;** तोलाराम रेलुमल और एक अन्य

डी.

v. बॉम्बे राज्य [1955] 1 एससीआर 158; बिपिनचंद्र

परशोत्तमदास पटेल बनाम गुजरात राज्य **(2003) 4** एससीसी

642:[2003] 3 एस**.** सी**.** आर**. 533-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

[2002] 3 एससीआर **696**

पर भरोसा किया

पैरा **9**

[2018] 2 एससीआर **892**

पर भरोसा किया

पैरा **9**

[2006] 1 एससीआर **496**

विशिष्ट पैरा **19** विशिष्ट पैरा **19**

[1982] 3 एससीआर **318**

च

[2018] 10 एससीआर **76**

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[2003] 3 एससीआर **533**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[2015] 4 एससीआर **987**

पर भरोसा किया

पैरा **57**

जी.

[2016] 9 एससीआर **985**

पर भरोसा किया

पैरा **73**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 6576।

2021 के एम. एफ. ए. No.49 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.05.2021 के निर्णय और आदेशों से।

एच.

8

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

क.

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, दर्पण के. एम., हेमंत राज, रजित जोनाथन शॉ, सुश्री अमृता शर्मा, सुश्री राशि बंसल, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

बसव प्रभु एस. पाटिल।वरिष्ठ अधिवक्ता, शैलेश मडियाल, मनमोहन पी. एन., सुधांशु प्रकाश, गीत आहूजा, सुश्री राखी एम., अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

अनुमति प्रदान की गई।

ग

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यह विशेष अनुमति याचिका बेंगलुरु में कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 26 मई 2021 को पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूर के 14 दिसंबर 2020 के फैसले और आदेश को बरकरार रखा गया है।3. 2018 में किसी समय, अपीलार्थी ने मैसूर नगर निगम के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, कर्नाटक के वार्ड No.36-येरगनहल्ली से पार्षद के रूप में, जो पिछड़े वर्ग-बी (महिलाओं) के लिए आरक्षित था, एक हलफनामे के माध्यम से एक घोषणा के साथ, अपीलार्थी के साथ-साथ उसके

जीवनसाथी और आश्रितों द्वारा रखी गई चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करते हुए, जिसे इसके बाद "संपत्तियों का हलफनामा" कहा जाता है।

डी.

ई.

4. अगस्त 2018 में मैसूर नगर निगम के लिए चुनाव हुए थे।3 सितंबर 2018 को उक्त चुनावों के परिणाम घोषित किए गए। अपीलार्थी को उक्त वार्ड No.36 यानी येरगनहल्ली से सफलतापूर्वक निर्वाचित पार्षद घोषित किया गया था।

च

5. उत्तरदाता संख्या 4, एक असफल उम्मीदवार, ने कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 33 और 34 के तहत प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूर के न्यायालय में 2018 की चुनाव याचिका संख्या 4 दायर की, जिसे इसके बाद "केएमसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया।6. उक्त चुनाव याचिका में, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने परिसंपत्तियों के अपने शपथ पत्र में गलत घोषणा की थी कि उसके पति के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, और इस तरह की झूठी घोषणा करके, अपीलार्थी ने ए.

जी.

एच.

9

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

पिछड़े वर्ग-बी (महिला) की श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करें।

7. 16 अप्रैल 2019 के एक निर्णय और आदेश द्वारा, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूर (विचारण न्यायालय) ने प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर 2018 की उक्त चुनाव याचिका संख्या 4 को खारिज कर दिया।

8. प्रतिवादी संख्या 4 ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में 2019 की विविध प्रथम अपील No.4023 के रूप में एक अपील दायर की, जिसमें निचली अदालत द्वारा पारित 16 अप्रैल 2019 के उक्त फैसले और आदेश को चुनौती दी गई।

9. 28 अप्रैल 2020 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम संघ मामले में इस न्यायालय के फैसलों के आलोक में 2018 की चुनाव याचिका संख्या 4 को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया।

ग

लोकतांत्रिक सुधार **1** और लोक प्रहरी बनाम भारत संघ **2** के लिए।द**.**

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

“...इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि एल. आई. एस. के पूर्ण निर्णय के लिए निचली अदालत को के. एम. सी. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और दूसरा बनाम भारत संघ और लोक प्रहरी बनाम भारत संघ और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न पर विचार करना चाहिए था।"

डी.

ई.

10. इसके बाद, 14 दिसंबर 2020 के एक फैसले और आदेश द्वारा, निचली अदालत ने 2018 की चुनाव याचिका संख्या 4 को मंजूरी दी और अपीलार्थी के चुनाव को रद्द कर दिया।

11. 23 दिसंबर 2020 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने केएमसी अधिनियम की धारा 38 के तहत बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की, जिसे 2021 के एमएफए No.49 के रूप में स्वीकार और पंजीकृत किया गया था।उच्च न्यायालय ने इस अपील में 26 मई 2021 के फैसले और आदेश द्वारा 2021 की एम. एफ. ए. No.49 होने की अपील को खारिज कर दिया है।12. अपीलार्थी की ओर से श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी मैसूर नगर निगम के येरगनहल्ली वार्ड के नगरपालिका चुनाव में सफल रहे और तदनुसार उन्हें मैसूर नगर निगम की महापौर के रूप में चुना गया और वह वर्तमान महापौर बनी हुई हैं।

च

जी.

1 (2002) 5 एस. सी. सी. 295 2 (2018) 4 एस. सी. सी. 699 ए

एच.

10

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

13. श्री दीवान ने तर्क दिया कि उत्तरदाता संख्या 4 ने 2902 मत प्राप्त किए, जबकि अपीलार्थी ने 3295 मत प्राप्त किए।श्री दीवान ने इस तथ्य पर जोर दिया कि चुनाव याचिका को शुरू में खारिज कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील में 28 अप्रैल 2020 के एक आदेश द्वारा मामले को विद्वत निचली अदालत के पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।

14. श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने 26 मई 2021 के विवादित आदेश को पारित करते हुए कानूनी रूप से गलती की थी, जिसमें 2018 की चुनाव याचिका संख्या 4 में निचली अदालत के 14 दिसंबर 2020 के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें अपीलकर्ता के वार्ड No.36-Yeraganahalli, कर्नाटक के पार्षद के रूप में चुनाव को रद्द कर दिया गया था।

15. श्री दीवान ने इस न्यायालय के विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उठाएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

(i) क्या चुनाव के बाद मैसूर नगर निगम के महापौर के रूप में कार्य करने वाले विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में संपत्ति के प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है?

डी.

((ii) क्या परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण न करना भ्रष्ट व्यवहार होगा?

16. अपीलार्थी का चुनाव कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 द्वारा शासित होता है, जिसे इसके बाद "केएमसी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है, और कर्नाटक नगर निगम (चुनाव) नियम, 1979 जिसके तहत बनाया गया है, जिसे इसके बाद "केएमसी चुनाव नियम" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ई.

17. श्री दीवान ने जोर देकर तर्क दिया कि के. एम. सी. अधिनियम या के. एम. सी. चुनाव नियमों के तहत किसी भी प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।इस आधार पर मान्यता देने और आगे बढ़ने के बाद कि चुनाव केएमसी चुनाव नियमों के साथ पठित केएमसी अधिनियम के संदर्भ में आयोजित किए जा रहे थे, उच्च न्यायालय को अपीलार्थी की अपील को खारिज नहीं करना चाहिए था।18. श्री दीवान ने कहा कि चुनाव को नियंत्रित करने वाला चुनाव कानून एक स्व-निहित वैधानिक कानून है जिसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।कानून में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, जिसमें एक उम्मीदवार को शपथ पत्र के माध्यम से अपने जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, चुनाव लड़ने का इरादा रखने वाले उम्मीदवार को नीतिगत निर्णय को अपनाकर या सामान्य कानून में कार्रवाई के माध्यम से ऐसा खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

च

जी.

एच.

11

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

क.

19. श्री दीवान ने अपनी दलील के समर्थन में श्रीकांत बनाम वसंतराव और अन्य **3** का हवाला दिया**,** जहां इस न्यायालय ने अपनी मंजूरी के साथ इसे पहले उद्धृत किया था।

ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल **4** में निर्णय और अभिनिर्धारित किया गयाः**- -**प**.**व**.**१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

“...कानून के बाहर, चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है, निर्वाचित होने का कोई अधिकार नहीं है और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है।सांविधिक सृजन वे हैं, और इसलिए, सांविधिक सीमा के अधीन हैं।चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कार्रवाई नहीं है, न ही निष्पक्षता में।यह एक सांविधिक कार्यवाही है जिसमें न तो सामान्य कानून और न ही समता के सिद्धांत लागू होते हैं, बल्कि केवल वे नियम लागू होते हैं जिन्हें क़ानून बनाता है और लागू करता है।यह एक विशेष अधिकार क्षेत्र है, और एक विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हमेशा इसे बनाने वाले क़ानून के अनुसार किया जाना चाहिए।सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाओं को तब तक चुनाव कानून के लिए अजनबी रहना चाहिए जब तक कि वैधानिक रूप से मूर्त न हो।एक अदालत को कथित नीति के विचारों पर उनका सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि चुनाव विवादों के मुकदमे से संबंधित ऐसे मामलों में नीति वही है जो क़ानून निर्धारित करता है।चुनाव विवादों के मुकदमे में, अदालत को एक जलडमरूमध्य में रखा जाता है।"

ग

डी.

20. श्रीकांत बनाम वसंत राव और अन्य (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“11. इसलिए, किसी व्यक्ति को तब तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह संविधान के अनुच्छेद 191 में या अधिनियम की धारा 8,8-ए, 9,9-ए, 10 या 10-ए के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। सुविधा के आधार पर या समानता या तर्क या कथित विधायी इरादे के आधार पर अयोग्यताओं में जोड़ना या घटाना संभव नहीं है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अध्याय III के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को केवल निम्नलिखित आधारों पर किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, और कोई अन्य आधार नहीं हैः

ई.

च

भारत के संविधान के तहत अयोग्यताएँः.....

जी.

.....

3 (2006) 2 एससीसी 682 4 (1982) 1 एससीसी 691 ए

एच.

((viii) यदि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका उस सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य की आपूर्ति या निष्पादन के लिए राज्य सरकार के साथ अनुबंध है, तो अधिनियम की धारा 9-ए के अनुसार।

21. श्रीकांत बनाम वसंत राव और अन्य मामले में इस न्यायालय का निर्णय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अध्याय III के संदर्भ में दिया गया था, जिसके संदर्भ में किसी व्यक्ति को केवल निर्धारित आधारों पर विधान सभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता था, और कोई अन्य नहीं, जिसमें माल की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार के साथ एक स्थायी अनुबंध रखने वाला व्यक्ति शामिल था।22. इस न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर पाया कि संबंधित उम्मीदवार का राज्य सरकार के साथ कोई स्थायी अनुबंध नहीं था, बल्कि राज्य सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं के साथ था।इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा और अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार अपने नियंत्रण में कानूनी या अन्य प्राधिकरणों से अलग है।

ग

23. इस न्यायालय द्वारा ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल **(**उपर्युक्त**)** में उल्लिखित विधि का प्रस्ताव कि कानून के अनुसार के अलावा**,** किसी चुनाव को चुनने**,** निर्वाचित होने या विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है**,** जैसा कि अनुमोदित किया गया है और

डी.

श्रीकांत बनाम वसंत राव और अन्य (ऊपर) में दोहराया गया अच्छी तरह से स्थापित है।अ.

चुनाव याचिका निर्विवाद रूप से उस क़ानून द्वारा शासित एक वैधानिक कार्यवाही है जिसके तहत चुनाव याचिका दायर की जाती है, या उस क़ानून के तहत बनाए गए सांविधिक नियम।

ई.

24. ऊपर उल्लिखित ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों को इस मुद्दे के संदर्भ में किया गया है कि क्या अपीलार्थी को चुनाव याचिका में शामिल किया जा सकता है और उसे भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया जा सकता है, जब वह चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं था, जिसे चुनौती दी गई थी।श्रीकांत बनाम वसंत में निर्णय

च

राव और अन्य (ऊपर) और ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल (ऊपर) हैं

तथ्यों पर अलग करने योग्य।

25. शैलेश मनुभाई परमार बनाम निर्वाचन आयोग

भारत 5, जिसे श्री दीवान ने भी उद्धृत किया है, इस न्यायालय ने प्रभावी रूप से कहा कि भले ही संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्रवाई करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, यहां

तक कि एक सलाहकार की भूमिका ग्रहण करके भी, संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत संसद में कानून बनाने की शक्ति निहित है।संसद है

जी.

5 (2018) 9 एससीसी 100 ए

एच.

13

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

सर्वोच्च और इसलिए, चुनाव आयोग की किसी भी सलाह से बाध्य नहीं है।

26. इस न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“26. उक्त अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए, कुलदिप नायर [कुलदिप नायर बनाम भारत संघ, (2006) 7 एस. सी. सी. 1] मामले में संविधान पीठ ने निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पी. 139, पैरा 427)

“427. इस संदर्भ में, हम कहेंगे कि जहां इस विषय पर कानून चुप है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के घोषित उद्देश्य के लिए कार्य करने की शक्ति का भंडार है, और इस दृष्टिकोण से यह एक सलाहकार की भूमिका भी ग्रहण करता है।लेकिन अनुच्छेद 327 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है, जो सर्वोच्च है और इसलिए ऐसी सलाह से बाध्य नहीं है।हम मोहिंदर सिंह गिल [मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त] मामले में इस अदालत द्वारा पहले ही जो कहा जा चुका है, उसका उल्लेख करके इस तर्क को खारिज कर देंगे।, (1978) 1 एस. सी. सी. 405] और यहाँ जो दोहराया जाता है वह यह है कि चुनाव आयोग के "पूर्ण चरित्र" के प्रयोग की सीमाओं में इस आशय की एक सीमा शामिल है कि "जब संसद या किसी राज्य विधानमंडल ने चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में वैध कानून बनाया है, तो आयोग, ऐसे प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा, न कि उल्लंघन में" [एस. सी. सी. पी.452, पैरा 92 (2) (बी)]।"

ग

डी.

ई.

27. शैलेश मनुभाई परमार (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, श्री दीवान

उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को संसद द्वारा बनाए गए कानून के चारों कोनों के भीतर काम करना होगा।इसके अलावा, यदि इस न्यायालय द्वारा चुनाव की शुद्धता को आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रावधान की व्याख्या करते हुए कोई निर्देश जारी किया जाता है, तो आयोग की ओर से उसके अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा।आयोग ऐसी अवधारणाओं या विचारों या आयामों को प्रस्तुत नहीं कर सकता है जो कानूनी ढांचे में फिट नहीं होंगे।उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है।

च

जी.

28. श्री दीवान ने चुनाव आयोग के 14 जुलाई 2003 की अधिसूचना जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाया जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को एक हलफनामा दाखिल करके अपनी संपत्ति और अपने जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।उन्होंने तर्क दिया कि केएमसी अधिनियम में कोई कमी नहीं थी, जिसे अधिसूचना जारी करके भरा जाना आवश्यक था।

29. 14 जुलाई, 2003 की अधिसूचना इसके अनुसार जारी की गई थी -

भारत संघ बनाम भारत संघ में इस न्यायालय का निर्णय

लोकतांत्रिक सुधार **(**ऊपर**)**।फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:**- -**प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है **-**

"48. निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद या राज्य विधानमंडल के लिए अपने नामांकन पत्र के एक आवश्यक भाग के रूप में चुनाव की मांग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से शपथ पत्र पर जानकारी के लिए आवश्यक आदेश जारी करे, जिसमें उसकी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी दी जाए:

ग

(1) चाहे उम्मीदवार को अतीत में किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो/बरी किया गया हो/आरोपमुक्त किया गया हो-यदि कोई हो, चाहे उसे कारावास या जुर्माने की सजा दी गई हो।

(2) नामांकन दाखिल करने के छह महीने से पहले, चाहे उम्मीदवार किसी भी लंबित मामले में आरोपी हो, दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का, और जिसमें आरोप बनाया जाता है या अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है।यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें।

डी.

(3) एक उम्मीदवार और उसके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति (अचल, चल, बैंक शेष, आदि)।

ई.

(4) देनदारियाँ, यदि कोई हों, विशेष रूप से चाहे किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी बकाया का कोई अतिदेय हो।

च

(5) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता।"

30. लोक प्रहरी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"68. ए. डी. आर. मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में [भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधार संगठन, (2002) 5 एस. सी. सी. 295:ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2112] और पी. यू. सी. एल. मामला [पी. यू. सी. एल. बनाम भारत संघ, (2003) 4 एस. सी. सी. 399:ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2363], हम फॉर्म 26 (उम्मीदवारों द्वारा घोषणा) में परिवर्तनों से संबंधित निर्देश जारी करने के लिए न तो कोई कानूनी या मानक बाधा देखते हैं और न ही उत्तरदाताओं में से किसी एक द्वारा हमारे सामने कोई स्थायी कानूनी आपत्ति उठाई गई है।दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी ने अपने काउंटर में कहा:

जी.

एच.

15

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

“7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक लिखित याचिका में पहली प्रार्थना का संबंध है, उम्मीदवारों, उनके जीवनसाथी और आश्रितों की आय के स्रोतों के बारे में जानकारी पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक कदम होगा और फॉर्म 26 के कर्नल (9) में घोषणा का हिस्सा होना चाहिए।उत्तरदाता आयोग ने अपने पत्र संख्या 3/4/ई. सी. आई./एल. ई. टी./एफ. यू. एन. सी./जे. यू. डी./एस. डी. आर./वॉल्यूम. आई./2016 दिनांक <आई. डी. 1 के माध्यम से पहले ही विधि और न्याय मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह फॉर्म 26 के कॉलम (3) और कॉलम (9) में किए गए प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करे और याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के साथ पूरी तरह से पुष्टि करे।"

ग

इसलिए, हमारी राय है कि प्रार्थना 1 (1) दी जानी चाहिए और तदनुसार दी जानी चाहिए।हम निर्देश देते हैं कि नियमों के नियम 4-ए और नियमों से जुड़े फॉर्म 26 में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों और उनके सहयोगियों को अपनी आय के स्रोतों की घोषणा करने की आवश्यकता होगी।"

डी.

31. श्री दीवान ने तर्क दिया कि लोक प्रहरी (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनाव संचालन नियम, 1961 से जुड़े नियम 4 ए और फॉर्म 26, जिसे इसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बनाए गए "1961 नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों और उनके सहयोगियों को अपनी आय के स्रोतों की घोषणा करने की आवश्यकता होगी।इस न्यायालय ने आगे कहाः

ई.

“81. उसी तर्क के लिए जो इस न्यायालय द्वारा कृष्णमूर्ति [कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार, (2015) 3 एस. सी. सी. 467 में अपनाया गया हैः(2015) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 359:ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1921], हमारी यह भी राय है कि उम्मीदवारों और उनके सहयोगियों की संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा न करना 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत परिभाषित "अनुचित प्रभाव" शीर्षक के तहत आने वाली एक भ्रष्ट प्रथा होगी। इसलिए हम प्रार्थना 2 की अनुमति देते हैं।"

च

32. श्री दीवान ने तर्क दिया कि, इस मामले में, चुनाव के. एम. सी. अधिनियम के तहत के. एम. सी. नियमों के साथ पढ़े जा रहे थे।न तो के. एम. सी. अधिनियम और न ही उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार या उसके जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।उच्च न्यायालय ने अपने विवादित आदेश में दर्ज किया है कि के. एम. सी. नियमों के तहत वैधानिक प्रपत्र संख्या 2 में उम्मीदवार को उम्मीदवार या उम्मीदवार के जीवनसाथी की संपत्ति और देनदारियों का कोई हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

जी.

एच.

16

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

33. श्री दीवान ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनावों और केएमसी अधिनियम और/या केएमसी नियमों द्वारा शासित चुनावों के बीच के अंतर पर जोर दिया।उन्होंने तर्क दिया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और 1961 के नियमों द्वारा शासित होते हैं।श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि 1961 के नियमों के नियम 4 ए के संदर्भ में एक वैधानिक रूप और व्यक्त वैधानिक आवश्यकता है जो प्रकटीकरण को अनिवार्य करती है।भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनावों के संबंध में दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र के रूप में जीवनसाथी की आय, संपत्ति आदि का विवरण होना चाहिए। हालाँकि, उक्त नियमों के उचित संशोधन और उसके तहत वैधानिक रूप के बिना, केएमसी नियमों में प्रकटीकरण करने की आवश्यकता को शामिल नहीं किया जा सकता है।34. श्री दीवान ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2003 के राज्य चुनाव आयोग के आदेश पर भरोसा करने में गलती की।श्री दीवान ने तर्क दिया कि वैधानिक आवश्यकता की अनुपस्थिति को राज्य आयोग के आदेश से दूर नहीं किया जा सकता है।14 जुलाई 2003 की अधिसूचना का परिचालन आदेश केएमसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों में संशोधन के बराबर नहीं हो सकता है।

ग

डी.

35. श्री दीवान ने तर्क दिया कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य है।कानून बनाना चुनाव आयोग का काम नहीं है।इसके अलावा, यदि 14 जुलाई 2003 की अधिसूचना द्वारा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एक प्रशासनिक निर्देश पर्याप्त था, तो चुनाव के संचालन के लिए केंद्रीय नियमों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

ई.

36. श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की कि अपीलार्थी भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त था।इस तरह के निष्कर्ष का परिणाम यह है कि अपीलार्थी के. एम. सी. अधिनियम की धारा 27 के अनुसार छह साल की अवधि के लिए पार्षद होने के लिए अयोग्य हो जाता है। उच्चतम स्तर पर, आक्षेपित कार्रवाई धारा 35 (1) (डी) (आई) के तहत नामांकन की अनुचित स्वीकृति के बराबर होगी।

च

37. श्री दीवान ने कहा कि चुनाव को धारा 35 (1) (डी) (आई) के तहत अलग रखा जा सकता था, न कि भ्रष्ट प्रथाओं के आधार पर।उच्च न्यायालय अपीलार्थी के नामांकन या चुनाव की अनुचित स्वीकृति के भौतिक प्रभाव के संबंध में किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, ताकि भ्रष्ट व्यवहार का गठन किया जा सके।

जी.

एच.

17

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

क.

38. हमारे सुविचारित विचार में, किसी उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी या आश्रितों की संपत्ति के संबंध में एक झूठी घोषणा, उम्मीदवार के चुनाव पर इस तरह की झूठी घोषणा के प्रभाव के बावजूद भ्रष्ट प्रथा का गठन करती है।यह माना जा सकता है कि एक झूठी घोषणा चुनाव को प्रभावित करती है।

39. श्री दीवान ने अंत में तर्क दिया कि दंडात्मक उपाय केवल वैधानिक प्रावधानों और/या नियमों के अनुसार ही लगाए जा सकते हैं।अपने समर्पण के संदर्भ में, श्री दीवान ने एम. पी. बनाम राज्य का हवाला दिया।केंद्र के लिए

हममें से (इंदिरा बनर्जी, जे.), जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“54. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब कोई क़ानून या वैधानिक नियम किसी भी कार्य या चूक के लिए जुर्माना निर्धारित करते हैं, तो कोई अन्य जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है जो क़ानून या वैधानिक नियमों में विचार नहीं किया गया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब क़ानून किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तो उसे केवल उसी तरीके से किया जाना चाहिए।

ग

डी.

55. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब भी पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करने वाले वैधानिक नियमों का उल्लंघन होता है तो पर्यावरण की रक्षा करने और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए मजबूत उपाय किए जाने चाहिए।सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कानून के अनुसार।

ई.

56. वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने पर 1989 के नियमों या एन. जी. टी. अधिनियम में विचार नहीं किया गया है। वैध पी. यू. सी. प्रमाणपत्र रखने और/या प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन नहीं करने वाले मोटर वाहनों को ईंधन की आपूर्ति से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

च

...

58. इसलिए, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए विवश है कि विद्वत न्यायाधिकरण के पास अपीलकर्ता राज्य सरकार को बिना पी. यू. सी. प्रमाण पत्र के वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करने के लिए विक्रेताओं, दुकानों और पेट्रोल पंपों पर आदेश, निर्देश या निर्देश जारी करने का निर्देश देने के लिए आदेश पारित करने की कोई शक्ति और/या अधिकार क्षेत्र नहीं था।पहले दो प्रश्नों का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।"

जी.

6 (2020) 9 एससीसी 781 ए

एच.

40. जैसा कि श्री दीवान ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, इस न्यायालय का उपरोक्त आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के एक आदेश के संदर्भ में पारित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि वाहनों को ईंधन की आपूर्ति को वैध पी. यू. सी. (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाण पत्र प्रदर्शित करने की आवश्यकता का पालन न करने के लिए रोक दिया जाए, भले ही उल्लंघन से निपटने के लिए क़ानून में विशिष्ट प्रावधान थे।ऊपर निकाले गए इस न्यायालय की टिप्पणियाँ पूरी तरह से अलग संदर्भ में की गई थीं, जहाँ क़ानून द्वारा विचार नहीं किया गया दंड लगाया गया था।

41. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, एक निर्णय कानून के मुद्दे के लिए एक मिसाल है जिसे उठाया और तय किया जाता है।निर्णय का अर्थ उन तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में लगाया जाना चाहिए जिनमें निर्णय दिया गया है।निर्णय में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है।न ही किसी निर्णय को क़ानून के तरीके से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए।यह केवल वह कानून है जिसकी अदालत द्वारा पहले के फैसले में व्याख्या की गई थी, जो एक बाध्यकारी मिसाल का गठन करता है, और वह सब कुछ नहीं जो न्यायाधीश कहते हैं।

ग

डी.

42. दंडात्मक कानूनों के सख्त निर्माण के सुव्यवस्थित सिद्धांत पर जोर देते हुए, श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय और आदेश गलत था।अपने निवेदन के संदर्भ में, श्री दीवान ने तोलाराम रेलुमल और एक अन्य बनाम बॉम्बे राज्य 7 में इस न्यायालय के पांच-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें बॉम्बे किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1947 में दंडात्मक प्रावधान से निपटने वाले इस न्यायालय ने कहा थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

" ... यहां यह देखा जा सकता है कि धारा 18 (1) के प्रावधान दंडात्मक प्रकृति के हैं और यह दंडात्मक कानूनों के निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि यदि दो संभव और उचित निर्माण दंडात्मक प्रावधान पर रखे जा सकते हैं, तो अदालत को उस निर्माण की ओर झुकना चाहिए जो दंड लगाने वाले के बजाय दंड से विषय को छूट देता है।विधायिका के इरादे को पूरा करने के लिए विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति के अर्थ को फैलाना अदालत के लिए सक्षम नहीं है। जैसा कि लंदन में लॉर्ड मैकमिलन और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे कंपनी ने बताया है।बेरीमैन [1946 ए. सी. 278,295] "जहाँ उल्लंघन के लिए दंड लगाया जाता है, वहाँ किसी नियम की भाषा को फैलाना वैध नहीं है, हालाँकि, इसकी भाषा के उचित और सामान्य अर्थ से परे, इसके इरादे को लाभान्वित करता है।"

च

जी.

एच.

7 (1955) 1 एससीआर 158 ए

19

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

43. बिपिनचंद्र परशोत्तमदास पटेल बनाम गुजरात राज्य **8,**

श्री दीवान द्वारा उद्धृत, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"31. यह सामान्य बात है कि किसी पद पर रहने के लिए अयोग्यता की ओर ले जाने वाला कानून दंडात्मक कानून की तरह स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए।यदि कोई क़ानून स्पष्ट नहीं है, तो उसके निर्माण के लिए सख्त व्याख्या का सहारा लिया जाना चाहिए।अपनी उत्कृष्ट कृति द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में रीड डिकर्सन कहते हैंः

"(1) न्यायालय व्यापक विधायी उद्देश्य का ध्यान रखने के लिए कानून को उसके अर्थ से परे नहीं बढ़ाएगा।यहाँ 'सख्त' का अर्थ केवल यह है कि न्यायालय क़ानून में घोषित नियम को उन स्थितियों में लागू करने के लिए अपने रचनात्मक कार्य का प्रयोग करने से परहेज करेगा जो उसके दायरे में नहीं आती हैं, भले ही इस तरह का विस्तार क़ानून के प्रकट गुप्त उद्देश्य को

आगे बढ़ाने में मदद करेगा।यहाँ, सख्ती क़ानून के अर्थ से संबंधित नहीं है, बल्कि क़ानून को न्यायिक कानून बनाने के लिए एक आधार के रूप में उपयोग करने से संबंधित है।

ग

डी.

(2) अदालत एक आपराधिक प्रतिवादी, सामान्य कानून, 'सामान्य अधिकार', एक करदाता या संप्रभुता के पक्ष में अर्थ की समान रूप से संतुलित अनिश्चितता का समाधान करेगी।

(3) न्यायालय इस प्रकार संभावना के भार के विरुद्ध भी अर्थ की एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता का समाधान करेगा।

ई.

(4) अदालत क़ानून के शाब्दिक अर्थ का बारीकी से पालन करेगी और ऐसा कुछ भी अनुमान नहीं लगाएगी जो इसकी पहुंच का विस्तार करे।

(5) जहां क़ानून का प्रकट उद्देश्य, जैसा कि संपार्श्विक रूप से प्रकट किया गया है, अपने व्यक्त अर्थ से संकीर्ण है, न्यायालय क़ानून के अनुप्रयोग को उसके संकीर्ण उद्देश्य तक सीमित कर देगा।यह रिग्स की स्थिति से अलग है क्योंकि संकीर्ण उद्देश्य क़ानून और इसके उचित संदर्भ के बाहर के स्रोतों द्वारा प्रकट किया जाता है।"

च

44. अपीलार्थी के चुनाव को नियंत्रित करने वाले कर्नाटक नगर निगम अधिनियम, 1976 के प्रासंगिक प्रावधान सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं।

जी.

“27. अयोग्यता को लागू करने वाली भ्रष्ट प्रथाएँ।—द.

धारा 39 मे विनिर्दिष्ट भ्रष्ट व्यवहार सम्मिलित होयत।

8 (2003) 4 एससीसी 642 ए

एच.

20 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

छह साल की अवधि के लिए पार्षद होने के लिए अयोग्यता, उस तारीख से गिनती की जाती है जिस दिन इस अधिनियम के तहत इस तरह की प्रथा के बारे में अदालत का निष्कर्ष प्रभावी होता है।

...

33. चुनाव याचिका।—(1) धारा 32 के तहत चुनाव के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर, अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय में निर्णय के लिए प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के अलावा किसी भी पार्षद के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(2) एक चुनाव याचिका धारा 35 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है -

ग

(क) ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा; या (ख) संबंधित वार्ड के किसी भी मतदाता द्वारा।

(3) एक याचिकाकर्ता चुनाव में सभी उम्मीदवारों को अपनी याचिका में प्रतिवादी के रूप में शामिल करेगा।

डी.

34. राहत जिसका याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया जा सकता है।- एक याचिकाकर्ता

इस घोषणा का दावा करने के अलावा कि सभी या 368 नगर निगमों में से किसी का चुनाव 1977:केएआर। अधिनियम 14] लौटे उम्मीदवार अमान्य हैं, एक और घोषणा का दावा करते हैं कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत चुना गया है।

ई.

35. चुनाव घोषित करने के लिए आधार शून्य हैं।—(1) विषय

उप-धारा (2) के प्रावधानों के लिए, यदि अदालत की राय है, (ए) कि उसके चुनाव की तारीख को एक लौटा हुआ उम्मीदवार इस अधिनियम के तहत पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं था या अयोग्य था, या

च

(ख) कि कोई भ्रष्ट आचरण किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किया गया है, या (ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, या (घ) कि चुनाव का परिणाम, जहां तक एक निर्वाचित उम्मीदवार का संबंध है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, -

जी.

((i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा; या

एच.

21

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

((ख) निर्वाचन अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा; या

((ग) किसी भी मत का अनुचित स्वागत, अस्वीकार या अस्वीकृति या किसी भी मत का स्वागत जो शून्य है; या

((iv) इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करने पर, अदालत लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करेगी।

(2) यदि अदालत की राय में, एक लौटाया गया उम्मीदवार अपने चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी है, लेकिन अदालत संतुष्ट है, -

ग

(क) कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव में ऐसी कोई भ्रष्ट गतिविधि नहीं की गई थी और ऐसी हर भ्रष्ट गतिविधि आदेशों के विपरीत और उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति के बिना की गई थी;

डी.

(ख) कि उम्मीदवार और उसके चुनाव अभिकर्ता ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए सभी उचित साधन अपनाए; और

(ग) कि अन्य सभी मामलों में चुनाव उम्मीदवार या उसके किसी भी एजेंट की ओर से किसी भी भ्रष्टाचार से मुक्त था, तो अदालत यह निर्णय ले सकती है कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य नहीं है।

ई.

37. न्यायालय का निर्णय।—(1) चुनाव याचिका की सुनवाई के समापन पर, न्यायालय एक आदेश देगा-(क) चुनाव याचिका को खारिज करना; या

च

(ख) सभी या किसी भी लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करना; या

(ग) सभी या किसी भी लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करना और याचिकाकर्ता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित करना।

जी.

...

38. अपील करें।**—**जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अवधि के भीतर धारा **37** के तहत उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

एच.

22 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को छोड़कर न्यायालय के आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधिः

बशर्ते कि उच्च न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी के पास उक्त अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण था।

39. भ्रष्ट आचरण।—निम्नलिखित को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट प्रथा माना जाएगा, अर्थात्ः— (1) ''रिश्वतखोरी' जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केंद्रीय अधिनियम 43) की धारा 123 के खंड (1) में परिभाषित किया गया है;

ग

(2) ''अनुचित प्रभाव' जैसा कि उक्त धारा के खंड (2) में परिभाषित किया गया है;

...”

डी.

45. केएमसी अधिनियम की धारा 39 के तहत, भ्रष्ट प्रथाओं में अनुचित प्रभाव शामिल है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के खंड 2 में अनुचित प्रभाव की परिभाषा (जिसे इसके बाद "1951 आरपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को केएमसी अधिनियम की धारा 39 (2) में शामिल किया गया है।

46. 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) में प्रावधान हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“123. भ्रष्ट आचरण-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण माना जाएगाः—

(1) .....

(2) अनुचित प्रभाव, अर्थात, उम्मीदवार या उसके एजेंट की ओर से, या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का प्रयास, किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र अभ्यास के साथः

च

बशर्ते कि -

जी.

(क) इस खंड के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे उसमें संदर्भित किया गया है- (i) किसी उम्मीदवार या किसी मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें कोई उम्मीदवार या मतदाता रुचि रखता है, चोट पहुँचाने की धमकी देता है।

एच.

23

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

सामाजिक बहिष्कार और किसी भी जाति या समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन सहित किसी भी प्रकार का; या

((ii) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह, या कोई भी व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता है, दिव्य अप्रसन्नता या आध्यात्मिक निंदा का विषय बन जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा।

इस खंड के अर्थ के भीतर ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने वाला समझा जाएगा;

ग

(ख) सार्वजनिक नीति की घोषणा, या सार्वजनिक कार्रवाई का वादा, या किसी चुनावी अधिकार में हस्तक्षेप करने के इरादे के बिना किसी कानूनी अधिकार का मात्र प्रयोग, इस खंड के अर्थ में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।"

47. के. एम. सी. अधिनियम की धारा 27 के तहत धारा 39 (2) में परिभाषित भ्रष्ट प्रथाओं के तहत, जिसमें "अनुचित प्रभाव" शामिल है, छह साल के लिए पार्षद होने से अयोग्य घोषित किया जाता है।

डी.

48. प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसव प्रभु एस. पाटिल ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन चुनाव केएमसी अधिनियम के कानूनी ढांचे के भीतर आयोजित किया गया था, कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 जेडए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 जुलाई 2003 को जारी की गई अधिसूचना, साथ ही 14 जुलाई 2003 की अधिसूचना के लिए 19 जून 2018 का परिशिष्ट भी, जिसमें चुनावों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को उम्मीदवारों, उनके जीवनसाथी और आश्रितों के स्वामित्व वाली संपत्तियों का खुलासा करने वाला एक हलफनामा जमा करने की आवश्यकता थी।

ई.

च

49. 14 जुलाई 2003 और 19 जून 2018 की उक्त अधिसूचनाओं की आवश्यकताओं के अनुपालन में, अपीलार्थी ने एक हलफनामा दायर किया।अपीलार्थी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उसने उक्त हलफनामे में गलत बयान दिए हैं कि (i)

उसने झूठा कहा कि उसके पति का नाम 'मादेगौड़ा' बताने के बजाय 'नानजेगौड़ा' था, (ii) उसने कहा है कि उसके पति के पास कोई चल या अचल संपत्ति नहीं थी, हालांकि उसके पास बड़ी संख्या में चल संपत्तियां थीं।50. 3 सितंबर 2018 को चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद और उसके बाद उनके हलफनामे में दिए गए झूठे बयानों का पता चलने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 ने चुनाव याचिका No.4/2018 दायर की।

जी.

एच.

51. चुनाव याचिका पर अपीलार्थी द्वारा दिए गए उत्तर में उन्होंने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“4. याचिका के पैराग्राफ 4 में किए गए कथनों के संबंध में, चौथा प्रतिवादी विनम्रता से प्रस्तुत करता है कि वास्तव में, 4 वें प्रतिवादी के बेटे (यानी नानजे गौड़ा) का नाम उसके पति (यानी एस. मादे गौड़ा) के नाम के बजाय उस कॉलम में उल्लेख किया गया है।वास्तव में, उस शपथ पत्र की शुरुआत में, चौथे प्रतिवादी के पति का नाम सही ढंग से उल्लेख किया गया है।

5. याचिका के पैराग्राफ 5 में किए गए कथनों के बारे में, चौथी प्रतिवादी विनम्रता से प्रस्तुत करती है कि उसे उस हलफनामे की शपथ लेते समय उक्त पैराग्राफ में उल्लिखित संपत्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उसने अपने उक्त हलफनामों में इसका उल्लेख नहीं किया है।उक्त हलफनामे में उक्त संपत्तियों का उल्लेख न करना अनजाने में और उक्त प्रामाणिक कारण के लिए है।

ग

डी.

52. श्री पाटिल ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने शुरू में चुनाव याचिका को खारिज करने में गलती की थी, इसके बावजूद कि अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि उसने अपने पति का सही नाम नहीं दिया था और इस तथ्य को दबा दिया था कि उसके पति के पास संपत्तियों का स्वामित्व था।

ई.

53. श्री पाटिल ने प्रस्तुत किया कि रिमांड पर चुनाव याचिका को सही अनुमति दी गई थी।अपीलार्थी द्वारा अपने पति की संपत्ति का खुलासा न करना भ्रष्ट प्रथाओं के बराबर होगा और इसलिए, केएमसी अधिनियम के साथ-साथ 1951 आरपी अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन है। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के चुनाव को रद्द कर दिया और प्रत्यर्थी संख्या 4 को निर्वाचित घोषित कर दिया।

च

54. श्री पाटिल ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी का चुनाव उनके द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई भ्रष्ट प्रथा से दूषित था कि उन्होंने एक झूठा हलफनामा दायर किया था और अपने पति की संपत्ति का खुलासा नहीं किया था।श्री पाटिल ने प्रस्तुत किया कि के. एम. सी. अधिनियम की धारा 35 (1) (डी) में प्रावधान है कि यदि न्यायालय की राय है कि किसी पक्ष ने 'भ्रष्ट आचरण' किया है जिसके परिणामस्वरूप चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

जी.

55. के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 (2) में भ्रष्ट आचरण को 'अनुचित प्रभाव' को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जैसा कि ए की धारा 123 (2) में परिभाषित किया गया है।

एच.

25

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

1951 का आर. पी. अधिनियम। 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) इस न्यायालय द्वारा लोक प्रहरी (ऊपर) में व्याख्या के लिए सामने आई, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-प्रकटीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत परिभाषित 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा। 1951 आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) में उपयोग की गई 'अनुचित प्रभाव' की परिभाषा को के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 (2) द्वारा भी अपनाया गया है। इसलिए, नगरपालिका चुनावों में संपत्ति का खुलासा न करना भी 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप 'भ्रष्ट व्यवहार' होगा।

56. अपीलार्थी की ओर से इस तर्क का खंडन करते हुए कि राज्य चुनाव आयोग के पास 14 जुलाई 2003 और 19 जून 2018 की अधिसूचना जारी करने की शक्ति नहीं है, उम्मीदवारों के लिए अपने जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करते हुए शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य है, क्योंकि केएमसी अधिनियम में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, श्री पाटिल ने तर्क दिया, और हमारे विचार में, सही है कि यह मुद्दा निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

ग

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ओआरएस में इस न्यायालय का।

(ऊपर)।

डी.

57. कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य। **9,** श्री द्वारा उद्धृत।

पाटिल, इस अदालत ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग की एक अधिसूचना को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को यह खुलासा करना चाहिए कि क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है।उपरोक्त मामले में, तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के संदर्भ में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था।

ई.

58. श्री पाटिल के तर्क के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग द्वारा 14 जुलाई 2003 और 19 जून 2018 को जारी अधिसूचनाओं पर अपीलार्थी द्वारा कभी भी सवाल नहीं उठाया गया है।बल्कि, याचिकाकर्ता ने अधिसूचनाओं को उस पर बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया, और तदनुसार एक हलफनामा दायर किया।इसलिए, अपीलार्थी को अधिसूचनाओं की वैधता या इसे जारी करने की राज्य चुनाव आयोग की शक्ति पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है।के. एम. सी. अधिनियम की धारा 35 और 39 (ii), जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) के साथ पढ़ा जाता है, से यह स्पष्ट है कि परिसंपत्तियों का खुलासा न करना 'भ्रष्ट प्रथाओं' के बराबर होगा, जिसमें अयोग्यता शामिल है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लोक प्रहरी (उपरोक्त) में व्याख्या की गई है।

च

जी.

59. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने अपने पति की संपत्ति के संबंध में जानकारी छुपाई थी।केएमसी की धारा 35 (1) (बी)

अधिनियम में प्रावधान है कि यदि न्यायालय की राय है कि किसी पक्ष ने 'भ्रष्ट आचरण' किया है, तो इसके परिणामस्वरूप चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।60. के. एम. सी. अधिनियम की धारा 35 उन आधारों की गणना करती है जिनके आधार पर अदालतें लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित कर सकती हैं।धारा 35 (1) (बी) में चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधारों में से एक के रूप में, एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या तो लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से, भ्रष्ट आचरण का उल्लेख किया गया है।के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 उन कृत्यों/प्रथाओं की गणना करती है, जिन्हें भ्रष्ट प्रथा माना जाना है।भ्रष्ट प्रथाओं में 'अनुचित प्रभाव' शामिल है।यह के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 (2) में निर्दिष्ट है।

ग

61. 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) में अनुचित प्रभाव की परिभाषा को के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 (2) में अनुचित प्रभाव की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 (3) की अवधि को ध्यान में रखते हुए, किसी उम्मीदवार से संबंधित कोई भी गलत बयान भ्रष्ट व्यवहार होगा।पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस बात पर जोर दिया जाता है कि केएमसी अधिनियम 1951 आरपी अधिनियम की धारा 123 (2) में अनुचित प्रभाव की परिभाषा को शामिल करता है। आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 123 (2) में 'अनुचित प्रभाव' की व्याख्या करने वाले इस न्यायालय के निर्णय, के. एम. सी. अधिनियम की धारा 39 (2) के तहत अनुचित प्रभाव की व्याख्या पर पूरी तरह से लागू होंगे।

डी.

ई.

62. श्री पाटिल ने ठीक ही तर्क दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (2) की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा लोक प्रहरी (उपरोक्त) में की गई थी, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गैर-प्रकटीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा।इसलिए परिसंपत्तियों का खुलासा न करना भी 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा और इसके परिणामस्वरूप केएमसी अधिनियम के तहत 'भ्रष्ट प्रथाओं' के बराबर होगा। श्री पाटिल ने तर्क दिया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 14 जुलाई 2003 और विशेष रूप से 19 जून 2018 को जारी अधिसूचनाओं में उम्मीदवारों के लिए अपने जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करते हुए शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।
63. यह सवाल कि क्या चुनाव आयोग के पास के. एम. सी. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में उम्मीदवारों को अपने जीवनसाथी की संपत्ति का खुलासा करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश जारी करने का अधिकार था, अब एकीकृत नहीं है।यह प्रश्न इस न्यायालय द्वारा संघ में निर्धारित कानून द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है

च

जी.

भारत बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ओआरएस (ऊपर), जहां

इस न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को सुरक्षित करने का निर्देश दिया था, ए

एच.

27

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

अन्य बातों के साथ-साथ, न केवल उम्मीदवारों की बल्कि उनके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति से संबंधित जानकारी।

64. चुनाव आयोग को संसद और/या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के चार कोनों के भीतर कार्य करना होगा, जैसा कि श्री दीवान द्वारा तर्क दिया गया है।

65. 14 जुलाई 2003 की अधिसूचना निम्नलिखित के अनुसार जारी की गई थी -

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इस न्यायालय का निर्णय

(ऊपर), जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "संविधान ने बनाया है

आकस्मिक स्थितियों का ध्यान रखने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत व्यापक प्रावधान और यह उन क्षेत्रों में काम करता है जहां कानून नहीं है।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 की इस न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

ग

66. यह ध्यान रखना उचित होगा कि अनुच्छेद 243-जेडए (1) की भाषा और अवधि संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के समान है।धारा 243-जेड. ए. (1) की भाषा और कार्यकाल अनुच्छेद 324 (1) के समान है।सुविधा के लिए अनुच्छेद 243-जेडए (1) और अनुच्छेद 324 (1) नीचे दिए गए हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“ 243-जेडए। नगरपालिकाओं के लिए चुनाव।—(1) द.

नगरपालिकाओं के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण अनुच्छेद 243-के में निर्दिष्ट राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।

ई.

XXX

XXX

XXX

324. निर्वाचनों का अधीक्षण**,** निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना।**—(1)** अधीक्षण**,**

च

संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए और इस संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का निर्देश और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में चुनाव आयोग के रूप में संदर्भित किया गया है)।"

जी.

67. इस न्यायालय ने चुनाव आयोग को चुनावी भूमिकाओं की तैयारी और/या संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव के संचालन के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण से संबंधित व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 324 (1) की व्याख्या की है, बशर्ते कि निर्देश कानून के विपरीत न हों।अनुच्छेद की व्याख्या

एच.

324(1) संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्रदान करना अनुच्छेद 243-जेडए (1) पर लागू होगा।अनुच्छेद 243-जेड. ए. (1) का अर्थ राज्य चुनाव आयोग को चुनावी भूमिकाओं की तैयारी या नगर पालिकाओं के चुनाव के संचालन के लिए अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण से संबंधित निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए।

68. चुनाव आयोग के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के तहत कानून की रूपरेखा के अधीन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियां हैं।चुनाव आयोग की शक्ति में निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल है जहां कानून चुप है।राज्य चुनाव आयोग के पास अनुच्छेद 243-के और 243-जेडए (1) के तहत वही शक्तियां हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के तहत भारत के चुनाव आयोग के पास हैं।

ग

69. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स **(**ऊपर**)** और लोक में

प्रहरी (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने मौलिक अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए, मतदाता को चुनाव में उम्मीदवारों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, तो उसकी संपत्ति और देनदारियां, शैक्षिक योग्यता आदि शामिल होंगी। यह सच हो सकता है कि 1951 के आर. पी. अधिनियम का संशोधन केंद्रीय संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है जैसा कि लोक प्रहरी (ऊपर) में देखा गया है और के. एम. सी. अधिनियम का संशोधन विशेष रूप से कर्नाटक राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र के भीतर है।70. तथापि, इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में

डी.

ई.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ऊपर), हम कोई कानूनी नहीं देखते हैं

या राज्य चुनाव आयोग के लिए हलफनामे के माध्यम से उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी और आश्रित सहयोगियों की संपत्ति के प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले निर्देश जारी करने के लिए मानक बाधा।14 जुलाई 2003 की अधिसूचना जारी करते हुए, चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य विधानमंडल के विधायी क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया है।14 जुलाई 2003 की अधिसूचना में निहित निर्देश को अपीलार्थी ने स्वीकार कर लिया था।एक झूठे हलफनामे की पुष्टि करने के बाद, यह तर्क देना अपीलार्थी के मुँह में नहीं है कि उसके चुनाव को केएमसी अधिनियम की धारा 35 (1) के तहत भ्रष्ट व्यवहार के आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए।

च

जी.

71. भारत एक अर्ध-संघीय राज्य है।संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" के रूप में वर्णित करता है।प्रत्येक राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।भारतीय राजनीति एक एकात्मक संविधान की कुछ विशेषताओं के साथ एक संघीय सरकार की विशेषताओं को जोड़ती है।जबकि ए

एच.

29

एस. रुक्मिणी मादेगौड़ा बनाम राज्य चुनाव आयोग और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.]

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन संघवाद की एक अनिवार्य विशेषता है, राष्ट्रीय महत्व के मामलों में, शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को बाधित किए बिना सभी राज्यों के हित में एक समान नीति आवश्यक है, ताकि केंद्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में कानून बना सकें।संविधान संघ और राज्यों के लिए सर्वोच्च कानून है जो एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा समर्थित है जो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

72. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संसद और संबंधित राज्य विधानसभाएं सर्वोच्च हैं और चुनाव आयोग की किसी भी सलाह से बाध्य नहीं हैं।यह भी उतना ही सच है कि चुनाव आयोग को संसद और/या संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के चारों कोनों के भीतर कार्य करना पड़ता है।हालाँकि, हमारी सुविचारित राय में, चुनाव आयोग ने कानून के दायरे में 14 जुलाई 2003 को अधिसूचना जारी की है।

ग

73. भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता **10,** रोहिंटन फाली

नरीमन, जे. ने पीठ की ओर से बोलते हुए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

डी.

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ **11** और अन्य बातों के साथ-साथ दोहराया गया

भारतीय संघवाद की निम्नलिखित विशेषताएँ -

(ग) संघ और क्षेत्रीय इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण प्रत्येक अपने क्षेत्र में समन्वय और दूसरे से स्वतंत्र है।शक्ति के इस तरह के वितरण का आधार यह है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जिनमें इकाइयों के हित में एक समान नीति वांछनीय है, प्राधिकरण संघ को सौंपा जाता है और स्थानीय चिंता के मामले राज्य के पास रहते हैं।

ई.

..."

च

74. सभी स्तरों पर चुनाव की शुद्धता, चाहे वह केंद्रीय संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या पंचायत का चुनाव हो, राष्ट्रीय महत्व का विषय है जिसमें सभी राज्यों के हित में एक समान नीति वांछनीय है।1961 के नियमों के समान, के. एम. सी. चुनाव नियमों में किसी भी विशिष्ट प्रावधान को शामिल करने में चूक का एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण, जिसमें बेईमानी और भ्रष्ट प्रथा को माफ करने के लिए संपत्ति के प्रकटीकरण की स्पष्ट रूप से आवश्यकता होती है, संविधान की भावना और सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा।

जी.

10 (2017) 2 एससीसी 538 (पैरा 10) 11 एआईआर 1963 एससी 1963 ए

एच.

75. इस न्यायालय का विचार है कि प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, मैसूर के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए, 2018 की चुनाव याचिका संख्या 4 को अनुमति देते हुए और अपीलार्थी के चुनाव को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने या उसे दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है।

76. इसलिए याचिका खारिज की जाती है।तदनुसार, सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

दिव्या पांडे

याचिका खारिज की जाती है।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.